रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102024-258338 CG-DL-E-30102024-258338

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 865] No. 865] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/कार्तिक 6, 1946 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIKA 6, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2024

फा. सं. बीओए/3-बी/पीएपी/2024.—भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 के उपखंड (एच), (आई), (जे) और (जेड.बी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023 के विनियम 9 के अनुसार, आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: अर्थात:-

अध्याय -।

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:- (1) इस विनियम को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (प्री-आयुर्वेद प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी विनियम) 2024 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएँ:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14);

6995 GI/2024 (1)

- (ख) "सात वर्ष और छह माह के आयुर्वेद कार्यक्रम" का अर्थ है एक रेजिडेंशियल स्नातक कार्यक्रम जिसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद, साढ़े चार वर्ष का बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और एक वर्ष का अनिवार्य रोटेटरी इंटर्निशिप शामिल है, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दसवीं कक्षा के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश का प्रावधान है;
- (ग) "आयुर्वेद गुरुकुलम" का अर्थ है 'एक स्वायत्त आवासीय आयुर्वेद संस्थान या कॉलेज', जिसमें एक शिक्षण अस्पताल भी शामिल है। यह संस्थान दो वर्षीय प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम के साथ सात वर्ष और छह माह की अविध का बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) डिग्री प्रोग्राम प्रदान करता है;
- (घ) "अनुलग्नक" का अर्थ है इन विनियमों में संलग्न एक अनुलग्नक;
- (ङ) "परिशिष्ट" का अर्थ है इन विनियमों में संलग्न परिशिष्ट;
- (च) "संस्थान" का अर्थ है आयुर्वेद गुरुकुलम; और
- (छ) "एनईईटी-पीएपी" का अर्थ है प्री-आयुर्वेद प्रोग्राम के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा;
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, परंतु यहां परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः सौंपे गए हैं।
- 3. सामान्य विचार:- (1) आयुर्वेद गुरुकुलम में सात वर्ष और छह माह के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम संचालित किया जाएगा।
 - (2) संस्थान को 'आयुर्वेद गुरुकुलम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधन के विवेक के अनुसार एक उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जाएगा।
 - (3) सभी आयुर्वेद गुरुकुलम संस्थान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली से संबद्ध होंगे।
 - (4) ऐसे आयुर्वेद गुरुकुलम की संख्या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में होगी। प्रत्येक पांच करोड़ जनसंख्या के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में एक अतिरिक्त आयुर्वेद गुरुकुलम होगा।
 - (5) मौजूदा आयुर्वेद संस्थानों को आयुर्वेद गुरुकुलम में या आयुर्वेद गुरुकुलम को अन्य संस्थानों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (6) आयुर्वेद गुरुकुलम में प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों में दो वर्ष के प्री-आयुर्वेद प्रोग्राम के साथ-साथ सात वर्ष और छह माह का अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) शामिल होगा। आयुर्वेद गुरुकुलम परिसर में केवल वही पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिन्हें आयोग द्वारा अनुमित दी गई है।
 - (7) (क) आयुर्वेद गुरुकुलम ऑनलाइन सिस्टम स्थापित करेगा जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल इनफार्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, और यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ संगत), आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अथवा आईरिस रिकग्निशन अथवा फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी अन्य सिस्टम सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सिस्टम स्थापित करने होगें जैसा कि शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल के कर्मचारियों और स्नातक छात्रों की उपस्थित को चिह्नित करने के लिए आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है;
 - (ख) आयोग द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशानुसार क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और किसी भी अन्य सिस्टम को आयोग द्वारा नामित केंद्रीय सर्वर के साथ संस्थापित और संरेखित या इंटरफेस किया जाएगा, जो आयोग और इसके स्वायत्त बोर्डों को आवश्यकतानुसार वास्तविक समय या प्रासंगिक डेटा प्रदान करेगा।

- (ग) आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा संबंधित नियामक निकाय, आयोग या आयोग के स्वायत्त बोर्डों को वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (8) रोगियों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर के माध्यम से किया जाएगा।
- (9) आयुर्वेद गुरुकुलम के भीतर सभी निर्माण पारंपरिक गुरुकुलम वास्तुकला को प्रतिबिंबित करेंगे और ग्रीन कैंपस सिद्धांत का पालन करेंगे।

अध्याय -II प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

4. भूमि की आवश्यकता - (1) पचास छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले आयुर्वेद गुरुकुलम के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता तालिका - 1 के अनुसार होगी।

तालिका-1 न्यूनतम आवश्यक भूमि

क्रम संख्या	क्षेत्र श्रेणी	न्यूनतम आवश्यक भूमि (एकड़ में)
1	टियर I या मेगा और मेट्रो *	\$
2	टियर II शहर, उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र	10
3	क्रम संख्या 1 और 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर कोई अन्य क्षेत्र	15

- मेगा और मेट्रो: ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत भारत में लागू जनगणना के अनुसार।
- नोट:-\$ भूमि की आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा:-
 - (क) मेगा और मेट्रो शहरों में आवश्यक भूमि की गणना इन विनियमों और नगर निगम के उपनियमों में निर्दिष्ट आवश्यक निर्मित क्षेत्र के आधार पर की जाएगी।
 - (ख) निर्मित क्षेत्र का अनुमोदन संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उस शहर में लागू नवीनतम भवन उप-नियमों (विकास नियंत्रण) के अनुसार किया जाएगा।
 - (ग) आवेदक संस्थान उस शहर के प्रमाणित भवन उपनियमों की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।
 - (घ) आवेदक स्थानीय वैधानिक निकाय से अनुमोदित योजना की एक प्रति भी प्रदान करेगा, साथ ही पूर्णता परियोजना और उसी निकाय से एक पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।
 - (ङ) अस्थायी अधिभोग प्रमाण (प्रोविजनल ओक्कुपेन्सी सर्टिफिकेट) पत्र पर केवल लगातार तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए विचार किया जाएगा।
 - (च) इसके बाद, अनुमित के नवीनीकरण के लिए केवल उपर्युक्त पूर्णता प्रमाण पत्र और पूर्णता योजना पर विचार किया जाएगा।
 - (2) भूमि दो से अधिक भूखंडों में नहीं होगी और दो भूखंडों के बीच रेडियल दूरी पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।
 - (3) सड़क या नहर या नाले द्वारा अलग किए गए परंतु पुल से जुड़े दो भूखंडों को भूमि के एक टुकड़े के रूप में माना जाएगा।
 - (4) 02 परिसरों के प्रकरण में, शिक्षण अस्पताल और इंटर्न छात्रावास एक ही परिसर में होगा।
 - (5) भूमि आवेदक के स्वामित्व में या आवेदक के नाम पर कम से कम तीस वर्षों की अवधि के लिए लीज पर होगी। लीज समझौते की समाप्ति पर नवीकरण की आवश्यकता होगी।

- 5. आयुर्वेद गुरुकुलम में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) प्रशासन मंडल (प्रशासनिक ब्लॉक);
 - (ख) अध्ययन अध्यापन मंडल (शैक्षणिक ब्लॉक);
 - (ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य मंडल (शिक्षण चिकित्सालय ब्लॉक) ;
 - (घ) निवास मंडल (आवासीय परिसर) ;
 - (ङ) गौशाला (गाय खलिहान) : वैकल्पिक।
- 6. प्रशासन मंडल (प्रशासनिक ब्लॉक) (1) प्रशासन मंडल की विभिन्न इकाइयों के लिए निर्मित क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता तालिका 2 में प्रदान की गई है।
 - (2) आयुर्वेद गुरुकुलम द्वारा प्रस्तुत सभी कार्यक्रम एक सामान्य प्रशासन मंडल साझा करेंगे।

तालिका -2 प्रशासनिक ब्लॉक के लिए न्यूनतम आवश्यक निर्मित क्षेत्र

т. п.		न्यूनतम आवश्यक
क्र० स०	इकाई	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	संस्थान के प्रमुख (निदेशक / संकायाध्यक्ष / प्राचार्य) का कार्यालय, जिसमें एक प्रतीक्षा कक्ष	50
	और संलग्न शौचालय शामिल हैं।	
2	संस्थान के प्रमुख के पर्सनल असिस्टेंट	10
3	कॉलेज परिषद बैठक कक्ष	150
4	पैंट्री	05
5	विजिटर प्रतीक्षा कक्ष - संस्थान के प्रमुख के कार्यालय में विजिटर हेतु	20
6	उप निदेशक अथवा उप संकायाध्यक्ष अथवा उप प्राचार्य	40 (20+20)
	(2 पद: प्री-आयुर्वेद और बी.ए.एम.एस. के लिए एक-एक)	
7	कार्यालय अधीक्षक	10
8	लिपिक कर्मचारी, लेखा अनुभाग	60
9	कार्यालय के कर्मचारियों के लिए शौचालय	20
10	आगंतुक प्रतीक्षा कक्ष - कार्यालय आगंतुक के लिए	20
11	रिकॉर्ड रूम	40
12	सेंट्रल स्टोर	50

- 7. अध्ययन अध्यापन मंडल (शैक्षणिक ब्लॉक)- (1) सात वर्ष और छह माह स्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षण के पहले दो वर्षों (प्री-आयुर्वेद) के लिए एक हजार वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ एक स्वतंत्र शैक्षणिक ब्लॉक होगा, जिसमें शामिल हैं:
- (2) (क) पाठ्यक्रम के पहले दो वर्षों के लिए पांच स्वतंत्र शिक्षण विभाग उपलब्ध होंगे: भाषा और दर्शन विभाग, जिसमें एक भाषा प्रयोगशाला (पच्चीस + सौ वर्ग मीटर) शामिल है; भौतिकी विभाग, जिसमें भौतिकी प्रयोगशाला (पच्चीस + सौ वर्ग मीटर) शामिल है; रसायन विज्ञान विभाग, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला (पच्चीस + सौ वर्ग मीटर) सहित; गणित विभाग (पच्चीस वर्ग मीटर); और जीव विज्ञान विभाग, जिसमें एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला (पच्चीस + सौ वर्ग मीटर) शामिल है। भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरण और सहायक उपकरण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।
 - (ख) भाषा और दर्शन विभाग में संस्कृत, अंग्रेजी, दर्शन और आयुर्वेद का परिचय शामिल होगा।

- (3) (क) सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए दो कक्षाएं होंगी, जिनमें से प्रत्येक में साठ छात्रों की बैठने की क्षमता होगी।
 - (ख) 30-30 की संख्या में छात्रों के बैठने की क्षमता वाले दो चर्चा कक्ष।
- (4) भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में निर्दिष्ट मानकों के अतिरक्त, संस्थान में एक पुस्तकालय (केंद्रीय और डिजिटल) होगा। इसके अतिरिक्त, पहले दो वर्षों के विषयों के लिए प्रासंगिक शीर्षकों को शामिल करने के लिए 60 वर्ग मीटर अतिरिक्त स्थान और 2,000 पुस्तकें उपलब्ध होंगी।
- (5) आयुर्वेद स्नातक कार्यक्रम (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) के लिए मूलभूत सुविधाएँ, मानव संसाधन, कार्यक्षमता और अन्य पूर्वापेक्षाओं सिहत न्यूनतम आवश्यक मानकों की रूपरेखा भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में विस्तृत होंगी, जिसमें छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार 60 छात्रों के लिए प्रावधान किया जाएगा।
- 8. चिकित्सा और स्वास्थ्य मंडल (शिक्षण अस्पताल ब्लॉक): मूलभूत सुविधाएँ, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, और इसी प्रकार के मानदंडों से संबंधित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करेगा, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 में साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए विस्तृत है।
- 9. निवास मंडल: (1) निवास मंडल में शामिल होंगे,
 - (क) बाल छात्रावास (सात वर्ष और छह माह के बैचलर ऑफ आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के पहले दो वर्षों के लिए स्वतंत्र रूप से)
 - (ख) कन्या छात्रावास (सात वर्ष और छह माह के बैचलर ऑफ आयुर्वेदा इन मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम के पहले दो वर्षों के लिए स्वतंत्र रूप से)
 - (ग) सलाहकारों (मेंटर्स), वार्डन के लिए आवास परिसर
 - (घ) कर्मचारी आवास परिसर (वैकल्पिक)
 - (ङ) छात्रावास में आवास की साझेदारी प्रति कक्ष अधिकतम दो व्यक्तियों तक सीमित होगी।
 - (2) छात्रावास में शौचालय, भोजनालय, रीडिंग रूम, मनोरंजन सुविधाएं और उचित सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाएं होंगी।

अध्याय -III

सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक

- 10. प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम का उद्देश्य :
 - (1) प्रासंगिक भारतीय शास्त्रों और संस्कृत भाषा में निहित आयुर्वेद को सीखने और समझने के लिए छात्र को तैयार करना।
 - (2) छात्र को अपने शास्त्रीय स्रोतों से प्रामाणिक रूप से आयुर्वेद का अध्ययन करने और अंततः एक समग्र चिकित्सक बनने के लिए तैयार करना।
 - (3) शिक्षा के आयुर्वेद गुरुकुलम मॉडल के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए छात्र को उन्मुख करना।
 - (4) शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में गुरु और शिष्य के बीच अनौपचारिक बातचीत की सविधा प्रदान करना।
- 11. प्रवेश क्षमता- प्रत्येक आयुर्वेद गुरुकुलम की प्रवेश क्षमता प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए पचास सीटें होगी।

- 12. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड- (1) बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता इस प्रकार होगी:
 - (क) उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड सहित संस्कृत बोर्ड ऑफ स्टेट या किसी समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तथा 10+2 पैटर्न या 5+3+3+4 पैटर्न में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।
 - (ख) किसी भी उम्मीदवार को पूर्वोक्त कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह कार्यक्रम के पहले वर्ष में, उसके प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले पंद्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।
- (2) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी आयुर्वेद गुरुकुलम की एक समान प्रवेश परीक्षा, नामत: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री-आयुर्वेद होगी। परीक्षा समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट माध्यम से संस्कृत या किसी अन्य भाषा में आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की जाएगी। सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, सामान्य उम्मीदवारों को शैक्षणिक वर्ष में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्री-आयुर्वेद में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होगें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों की स्थिति में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) के अंतर्गत पात्रता के लिए न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होगें।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां संबंधित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार प्रवेश के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री-आयुर्वेद में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो आयोग संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम कर सकता है, और इस प्रकार कम किए गए अंक संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए केवल उस शैक्षणिक वर्ष में ही लागू होंगे।

- (3) पात्र उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-प्री-आयुर्वेद में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और संबंधित श्रेणी के भीतर उम्मीदवारों को उक्त मेरिट सूचियों से ही प्री-आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्य किया जाएगा।
- (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के लिए आरक्षण संबंधित लागू कानूनों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- (5) प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्युनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।
 - (i) विदेशी नागरिकों को छोड़कर सभी सीटें, चाहे वे किसी भी श्रेणी (केंद्रीय आरक्षित सीटें, राज्य आरक्षित सीटें, प्रबंधन आरक्षित सीटें, या किसी अन्य लागू आरक्षण) से हों, का विचार किए बिना सभी सीटें पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित की जाएंगी। उपर्युक्त निर्दिष्ट उम्मीदवारों के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रत्यक्ष प्रवेश अनुमत नहीं किया जाएगा।
 - (ii) संस्थानों को समय-समय पर सत्यापन के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में और समय सीमा के भीतर प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची प्रस्तुत करनी होगी।
 - (iii) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उन उम्मीदवारों (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) के प्रवेश को स्वीकृति देगा, जिन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटें आवंटित की गई हैं।
 - (iv) कोई भी प्राधिकारी या संस्थान प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को सात वर्ष और छह माह के स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

- (v) कोई भी प्राधिकरण या संस्थान जो इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए किसी छात्र को प्रवेश देता है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।
- (vi) विदेशी उम्मीदवारों के लिए किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमित दी जा सकती है, और इस विनियमन के उप-विनियमन (2) के प्रावधान ऐसे उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे।
- 13. कार्यक्रम की अवधि:- इस कार्यक्रम की अवधि सात वर्ष और छह माह होगी, जिसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम भी शामिल है।
- 14. प्री-आयुर्वेद प्रोग्राम सर्टिफिकेट:
 - (1) प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम की अवधि पूरा होने पर, और तालिका-3 में उल्लिखित सभी विषयों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद, उम्मीदवार को प्री-आयुर्वेद प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा।गुरू
 - (2) प्री-आयुर्वेद सर्टिफिकेट 10 + 2 सर्टिफिकेट के समकक्ष होगा, और प्री-आयुर्वेद योग्यता रखने वाले उम्मीदवार उन कार्यक्रमों के लिए पात्र होंगे जहां पात्रता 10 + 2 या इसके समकक्ष है।
- 15. शिक्षा का माध्यम:- कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत या हिंदी या अंग्रेजी या कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी:
 - बशर्ते कि, यदि कोई संस्थान विभिन्न राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश दे रहा है, तो शिक्षा का माध्यम संस्कृत या अंग्रेजी में होगा।
- 16. गुरू (मेंटर): (1) पच्चीस छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए एक गुरू (मेंटर) होगा। आयुर्वेद गुरुकुलम में अध्ययन के सभी वर्षों के दौरान एक ही गुरू होगा। ऐसे मामलों में जहां गुरू (मेंटर) और छात्र में अनुकूलता की कमी होती है, वहां छात्र को गुरू (मेंटर) को बदलने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।
 - (2) गुरू (मेंटर) किसी भी विषय का शिक्षक होगा, जिसे अधिमानतः संस्कृत का ज्ञान हो और जो अपने शिक्षण में निष्ठा और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत करे।
 - (3) वह छात्रों के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (4) वह आयुर्वेद गुरुकुलम के आवासीय परिसर में निवास करेगा।
 - (5) गुरू (मेंटर) छात्रावास का वार्डन नहीं होगा।
 - (6) वह किशोर मनोविज्ञान, प्रकृति (शारीरिक और मानसिक), और मानव व्यवहार का ज्ञान रखेगा।
- 17. अध्ययन का पैटर्न- (1) इस कार्यक्रम में मुख्य विषय और इलेक्टिव शामिल होंगे। व्याख्यान से गैर-व्याख्यान घंटों का अनुपात लगभग 1: 2 होगा। आयुर्वेद गुरुकुलम छात्रों के लिए विभिन्न कौशल विकल्प प्रदान कर सकता है।
 - (2) औपचारिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत विकसित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के अनुसार योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम के साथ संरेखित पाठ्यक्रम शामिल होगा।
 - (3) अनौपचारिक शिक्षा में संस्कृत ग्रंथों के पारायण (पाठ), कौशल आधारित गतिविधियों जैसे चौंसठ कला, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, चिकित्सा उपकरण, तद् विद्यसंभाषा, गणितीय सोच, जीवन कौशल और इसी प्रकार के विषयों जैसे विषय शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण- इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'व्याख्यान' का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण, अर्थात कक्षा शिक्षण, और अभिव्यक्ति 'गैर-व्याख्यान' में व्यावहारिक / प्रदर्शनात्मक शिक्षण शामिल है। प्रदर्शानात्मक शिक्षण में विषय की आवश्यकताओं के अनुसार छोटे समूह शिक्षण, ट्यूटोरियल, सेमिनार, संगोष्टी, असाइनमेंट, रोल प्ले, प्रयोगशाला प्रशिक्षण, क्षेत्र का दौरा, कौशल प्रयोगशाला

- प्रशिक्षण, समस्या-आधारित शिक्षा, साक्ष्य-आधारित शिक्षा आदि शामिल हैं। गैर-व्याख्यान में, पाठ सहित व्यावहारिक भाग सत्तर प्रतिशत होगा, और प्रदर्शनात्मक शिक्षण तीस प्रतिशत होगा।
- (4) सभी बैचों के लिए नियमित समय सारिणी में प्रति सप्ताह पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा दोनों के लिए न्यूनतम एक घंटा शामिल होगा, इसके साथ ही प्रति माह मनोरंजन (प्रतिभा की अभिव्यक्ति और पाठ्येतर गतिविधियों की अभिव्यक्ति सहित) के लिए आवंटित एक घंटा शामिल होगा।
- (5) तालिका-3 में निर्दिष्ट विषयों को सात वर्ष और छह माह के आयुर्वेद स्नातक कार्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के दौरान पढ़ाया जाएगा। तालिका-3 में निर्दिष्ट विषयों के अतिरिक्त, पहले दो वर्षों में छात्रों को पांच ऑनलाइन इलेक्टिव पाठ्यक्रम भी पूरा करना होगा। इन अनिवार्य इलेक्टिव के अतिरिक्त, छात्र अतिरिक्त इलेक्टिव लेने के लिए स्वतंत्र हैं; हालांकि, अंक वेटेज केवल पांच अनिवार्य इलेक्टिव के लिए दिया जाएगा।
- (6) प्रत्येक इलेक्टिव के लिए एक अलग ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

तालिका-3 पहले दो वर्षों के लिए विषय

		्रियस नेना ए । यु । नेन	
क्रम	विषय कोड	विषय	
संख्या	ावषय काड	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	टीसी	ट्रांज़िशनल करिकुलम	-
2.	एसएन	संस्कृत	संस्कृत
3.	ई या आईएल	अंग्रेजी या भारतीय भाषाएं	अंग्रेजी या भारतीय भाषाएं
4.	पीएच	भौतिक विज्ञान (फिजिक्स)	भौतिक विज्ञान
5.	सीएच	रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	रसायन शास्त्र
6.	एमटी	गणितशास्त्र (मैथमेटिक्स)	गणितशास्त्र
7.	बीआई	जीवविज्ञान (बायोलॉजी)	जीवविज्ञान
8.	बीडीएस	भारतीय दर्शन और शास्त्र (भारतीय दर्शन और ज्ञान पद्धति)	-
9.	आईएवाई	-	आयुर्वेद का परिचय

(7) आयुर्वेद गुरुकुलम में शिक्षण की निर्धारित अविध और अपेक्षित कार्यकलाप को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार कार्य के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं और इस कार्यक्रम के लिए शिक्षण घंटे आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे। इस कार्यक्रम के विषयों के लिए शिक्षण घंटे तालिका - 4 में विस्तृत किए गए हैं।

तालिका-4 पहले दो वर्षों के विषयों के लिए शिक्षण घंटे

	विषय		प्रथम वर्ष		द्वितीय वर्ष		
क्रम संख्या	कोड	व्याख्यान	गैर- व्याख्यान	कुल	व्याख्यान	गैर-व्याख्यान	कुल
1	एसएन ट्रांज़िशनल करिकुलम सहित	250	330	580	150	250	400

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

2	ई या आईएल	200	40	240	100	150	250
3	पीएच	120	200	320	150	200	350
4	सीएच	120	200	320	150	200	350
5	एमटी	120	160	280	100	150	250
6	बीआई	120	200	320	180	250	430
7	बीडीएस	100	40	140	-	-	-
8	आईएवाई	-	-	-	120	50	170
क्	ल	1030	1170	2200	950	1250	2200

- 18. परीक्षा- (1) छात्रों का मूल्यांकन निम्नानुसार रचनात्मक और योगात्मक आकलन के रूप में होगा:
 - (क) छात्रों को कक्षा में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, कार्यक्रम सामग्री की उनकी समझ निर्धारित करने और उनके सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार के मूल्यांकन से गुजरना होगा।
 - (i) आवधिक मूल्यांकन एक विषय, मॉड्यूल, या पाठ्यक्रम के विशिष्ट भाग के शिक्षण के अंत में किया जाएगा। तालिका -5 में उल्लिखित मूल्यांकन विधियों को अपनाया जा सकता है, अर्थात्:

तालिका-5 आवधिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन विधियां

क्रम संख्या	मूल्यांकन विधि
1	प्रैक्टिकल
2	मौखिक परीक्षा, एमसीक्यू, एमईक्यू (संशोधित निबंध प्रश्न या संरचित प्रश्न)
3	ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित)
4	सारांश लेखन (शोध पत्र या संहिता)
5	क्लास प्रेजेंटेशन; कार्य पुस्तिका रखरखाव
6	समस्या आधारित असाइनमेंट
7	ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लीनिकल एग्जामिनेशन (ओएससीई), ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन
	(ओपीएससी), मिनी क्लीनिकल इवैल्यूएशन एक्सरसाइज (मिनी-सीईएक्स), डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ
	प्रोसीजर (डीओपी), केस आधारित चर्चा (सीबीडी)
8	पाठ्येतर गतिविधियाँ, (सामाजिक कार्य, जन जागरूकता, निगरानी गतिविधियाँ, खेल या अन्य गतिविधियाँ
	जो विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं)
9	छोटी परियोजनाएं

(ii) आयुर्वेद गुरुकुलम के कार्यक्रम में पहले वर्ष के पाठ्यक्रम का आंतरिक मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा। पहले टर्म टेस्ट के अंत में पहले वर्ष के पाठ्यक्रम का 50% मूल्यांकन छह माह के बाद किया जाएगा। शेष 50% पाठ्यक्रम का मूल्यांकन बारह माह (द्वितीय टर्म टेस्ट) के अंत में किया जाएगा। दूसरे वर्ष में, तृतीय टर्म टेस्ट के अंत में, द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का 50% आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।

- (ख) दूसरे वर्ष के अंत में, दो वर्ष के कार्यक्रम के पूरे पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित की जाएगी।
 - (i) द्वितीय वर्ष की परीक्षा आमतौर पर दूसरे वर्ष के सत्र के अंत तक आयोजित और पूरी की जाएगी; विषय अनुसार पेपरों की संख्या और अंक वितरण निम्नलिखित तालिका-6 के अनुसार होगा, नामत: —

तालिका -6 प्री-आयुर्वेद विषयों के लिए पेपर और अंक वितरण की संख्या

		· ·	, ,		प्रैक्टि	कल मूल्यांक	न		
क्रम संख्या	विषय कोड	परीक्षाओं की संख्या	थ्योरी मार्क्स	प्रैक्टिकल या नैदानिक	मौखिक परीक्षा	इलेक्टिव	आईए	सब- टोटल	ग्रैंड टोटल
1	एसएन	2	200 (100*2)	ı	30	10	10	50	250
2	ई या आईएल	1	100	-	30	10	10	50	150
3	पीएच	1	100	30	10	-	10	50	150
4	सीएच	1	100	30	10	1	10	50	150
5	एमटी	1	100	1	30	10	10	50	150
6	बीआई	1	100	30	10	1	10	50	150
7	बीडीएस	1	100	1	30	10	10	50	150
8	आईएवाई	1	100	1	30	10	10	50	150
							•	ग्रैंड टोटल	1300

- (ग) इलेक्टिव का मूल्यांकन (i) इलेक्टिव का मूल्यांकन उपस्थिति और आकलन के संदर्भ में किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, छात्र को क्रेडिट के साथ-साथ ग्रेड दिए जाएगें।
 - (ii) एक मॉड्यूल के न्यूनतम पांच घंटे में भाग लेने पर एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और छात्र प्रत्येक माड्यूल के लिए अधिकतम पांच क्रेडिट अर्जित कर सकता है।
 - (iii) प्रत्येक क्रेडिट के लिए दो अंकों का वेटेज और प्रत्येक इलेक्टिव के लिए अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे।
 - (iv) ये इलेक्टिव अंक संबंधित विषयों के मौखिक परीक्षा के अंकों में जोड़े जाएंगे।
 - (v) प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। ग्रेडिंग के लिए पांच मॉड्यूलर आकलन के औसत पर विचार किया जाएगा, जो निम्नानुसार है: कांस्य के लिए 25 प्रतिशत तक, रजत के लिए 26-50 प्रतिशत, स्वर्ण के लिए 51-75 प्रतिशत और प्लैटिनम के लिए 76 प्रतिशत और उससे अधिक।
- (घ) थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।
 - (i) 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा, और 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया जाएगा।
 - (ii) वर्ग और विशिष्टता का पुरस्कार पूरक परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

- (iii) प्रत्येक छात्र को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए थ्योरी (व्याख्यान घंटे) और प्रैक्टिकल (गैर-व्याख्यान घंटे) के लिए प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
- (iv) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वह पूरक परीक्षा में एक नियमित छात्र के रूप में शामिल हो सकता है, और नियमित परीक्षा में अनुपस्थिति को एक प्रयास नहीं माना जाएगा।
- 19. शैक्षणिक कैलैंडर तालिका-7 में दिए गए अनंतिम शैक्षणिक कैलेंडर टेम्पलेट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रत्येक बैच के लिए अकादमिक कैलेंडर तैयार करेगा। यह कैलेंडर छात्रों को वितरित किया जाएगा और संबंधित वेबसाइटों पर प्रकाशित (अपलोड) किया जाएगा, इसके अनुसार सभी गतिविधियों का संचालन किया जाएगा।

तालिका-7 सात वर्ष और छह माह के पहले दो वर्षों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर का टेंटेटिव टेम्प्लेट

शैक्षणिक गतिविधि	दिनांक या अवधि	
प्री-आयुर्वेद के प्रथम वर्ष का प्रारंभ	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस	
पहला टर्म टेस्ट	मार्च (छठा माह)	
ग्रीष्मकालीन अवकाश (दो सप्ताह)	मई	
दूसरा टर्म टेस्ट	- सितंबर (बारहवां माह)	
वार्षिक अवकाश (दो सप्ताह)	ासतवर (बारह्या माह)	
प्री- आयुर्वेद के दूसरे वर्ष का प्रारंभ	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस (तेरहवां माह)	
थर्ड टर्म टेस्ट	मार्च (अठारहवां माह)	
ग्रीष्मकालीन अवकाश (दो सप्ताह)	मई	
विश्वविद्यालय परीक्षा		
वार्षिक अवकाश (दो सप्ताह)	─ सितंबर (चौबीसवां माह)	

- नोट1: विषम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थान या कॉलेज शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखते हुए आवश्यकतानुसार छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना में बदलाव नहीं किया जाएगा।
- नोट 2: रिववार को छुट्टी रहेगी। राज्य के नियमों के अनुसार अन्य सभी छुट्टियां, आयुर्वेद गुरुकुलम पर लागू होंगी। लंबी छुट्टियां, जैसे गर्मी की छुट्टियां और दिवाली की छुट्टियां, संस्थान द्वारा या विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं। परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोई अवकाश नहीं होगा।
- 20. अध्ययन के दौरान छात्र का स्थानांतरण- छात्रों को एक आयुर्वेद गुरुकुलम से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमित दी जा सकती है, जो खाली सीटों की उपलब्धता और विश्वविद्यालय को पूर्व अधिसूचना के साथ दोनों आयुर्वेद गुरुकुलमों की आपसी सहमित के अनुसार होगा। आयुर्वेद गुरुकुलम और नियमित आयुर्वेद संस्थानों के बीच या इसके विपरीत प्रवास की अनुमित नहीं है।
- 21. ट्युशन शुल्क- (1) आयुर्वेद गुरुकुलम के छात्रों के लिए ट्यूशन शुल्क आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालय की शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं होगी।
 - (2) परीक्षाओं में असफलता या किसी अन्य कारणों से असफल होने के मामले में अध्ययन की विस्तारित अविध के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 22. (1) प्री-आयुर्वेद कार्यक्रम के लिए आवश्यक शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता और संख्या तालिका 8 के अनुसार होगी।

तालिका-8 शिक्षण स्टाफ के लिए योग्यता

	नियंग रहाम नगराष्ट्र भाग्यता					
क्रम ·	विषय	आवश्यक शिक्षकों	योग्यता			
संख्या		की न्यूनतम संख्या				
1	संस्कृत	2	एम.ए. संस्कृत, आचार्य			
2	अंग्रेज़ी	2	एम.ए. अंग्रेजी			
3	भौतिक विज्ञान	2	एम.एस.सी. भौतिकी			
4	रसायन शास्त्र	2	एम.एस.सी. रसायन विज्ञान			
5	गणितशास्त्र	2	एम.एस.सी. गणित			
6	जीवविज्ञान	2	एम.एस.सी. जीवविज्ञान			
7	भारतीय दर्शन और शास्त्र	_	संहिता और सिद्धांत में एम.डी. आयुर्वेद या			
8	आयुर्वेद का परिचय	2	एम.ए. (दर्शन) या संस्कृत में मास्टर डिग्री के साथ आचार्य			
नोट-	दो शिक्षकों में से, कम से कम एक शिक्षक उच्च संकाय जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, पद पर होगा।					

- (2) योग प्रशिक्षक (पूर्णकालिक) के लिए न्यूनतम योग्यता योग में स्नातक की डिग्री होगी, और प्रशिक्षक के पद के लिए किसी शिक्षक कोड की आवश्यकता नहीं होगी।
- (3) शिक्षण स्टाफ के लिए योग्यता और अनुभव निम्नानुसार होगा: -
 - (क) प्रोफेसर के पद के लिए (i) नियमित शिक्षक के रूप में संबंधित विषय में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) के पास संबंधित विषय में पांच वर्ष का नियमित शिक्षण अनुभव होगा।
 - (ख) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव।
 - (ग) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए (i) किसी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (घ) संस्थान के प्रमुख के पद के लिए योग्यता और अनुभव (i) संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक, जैसी भी स्थिति हो) के पद के लिए योग्यता आयुर्वेद पद्धित में स्नातकोत्तर डिग्री (मास्टर इन डॉक्टरेट और मास्टर इन सर्जरी) होगी;
 - (ii) संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक, जैसी भी स्थिति हो) के पद के लिए अनुभव वही होगा जो प्रोफेसर के पद के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उप प्रधानाचार्य या विभाग के प्रमुख या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होगा;
 - (iii) आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिग्री (मास्टर इन डॉक्टरेट और मास्टर इन सर्जरी) वो जिन्होंने आयोग द्वारा संचालित या आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट "शैक्षिक प्रशासन" में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
 - (ङ) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त की होगी।
- 23. वेतन (1) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए शिक्षक को केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, गैर-अभ्यास भत्ता सहित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसी भी स्थिति हो, भारत में चिकित्सा पद्धतियों के बीच वेतन संरचना में कोई विसंगति नहीं होगी।

(2) स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के शिक्षकों के लिए, जिनमें केंद्रीय निजी डीम्ड विश्वविद्यालय या राज्य निजी डीम्ड विश्वविद्यालय शामिल हैं। -

13

(क) न्यूनतम मूल वेतन तालिका-9 के अनुसार होगा।

तालिका- 9 न्यूनतम मासिक वेतन

क्र०स०	पद	वेतनमान
1.	संस्कृत, भौतिकी, रसायन विज्ञान,	वेतन स्तर -8, पे मैट्रिक्स 47,600-1,51,100 रुपये
	गणित और जीव विज्ञान के शिक्षक	(7 वें सी०पी०सी० के अनुसार)
2.	सहायक प्राध्यापक	वेतन स्तर -10, पे मैट्रिक्स 56,100-1,77,500 रुपये
	(असिस्टेंट प्रोफेसर)	(7 वें सी०पी०सी० के अनुसार)
3.	सहयोगी प्राध्यापक	पे लेवल -12, पे मैट्रिक्स 78,800-2,09,200 रुपये
	(एसोसिएट प्रोफेसर)	(7 वें सी०पी०सी० के अनुसार)
4.	प्राध्यापक	वेतन स्तर -13, वेतन मैट्रिक्स 1,23,100-2,15,900 रुपये
	(प्रोफेसर)	(7 वें सी०पी०सी० के अनुसार)
5.	संस्थान के प्रमुख	वेतन स्तर -13 ए, पे मैट्रिक्स 1,31,100-2,16,600 रुपये
		(7 वें सी०पी०सी० के अनुसार)

- (ख) यह न्यूनतम निर्धारित वेतन होगा और उच्च वेतन संरचना के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं होगा।
- (ग) मासिक वेतन का भुगतान वार्षिक वेतन में वृद्धि के साथ, संबंधित कैडर या पद के अनुभव के वर्ष के आधार पर किया जाएगा।
- (घ) जो संस्थान पहले से ही उच्च वेतन संरचना का भुगतान कर रहा है, वह इसे जारी रखेगा।
- (ङ) केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों में संशोधन किए जाने पर यथा लागू वेतन संरचना अपनाई जाएगी।
- (3) शिक्षक को वेतन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वेतन खाते में जमा किया जाएगा और आवश्यक सुविधाएं जैसे कि भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा आदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएंगी और शिक्षक को महाविद्यालय द्वारा वर्तमान मानदंडों के अनुसार आयकर कटौती प्रमाण पत्र जैसे फॉर्म-16 जारी किया जाएगा।
- (4) महाविद्यालय नियुक्ति और पदोन्नति आदेश जारी करेगा जिसमें वेतन, त्याग-पत्र के लिए सूचना अवधि, शिक्षक द्वारा बनाए जाने वाले न्यूनतम उपस्थिति जैसे विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।
- 24. शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु:-शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगी और शिक्षक पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक शिक्षकों के रूप में पुन: नियोजित किया जा सकेगा।
- 25. विशिष्ट शिक्षक कोड:- (1) भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग द्वारा सभी पात्र शिक्षकों के लिए एक विशिष्ट शिक्षक कोड कॉलेज में उनकी नियुक्ति के बाद एक ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन पद्धित के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर आवंटित किया जाएगा। ऐसे सभी शिक्षकों के लिए विभाग की पदोन्नित, स्थानांतरण या कार्यमुक्ति की सुविधा और निरीक्षण ऑनलाइन टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम (ओटीएमएस) के माध्यम से की जाएगी।
 - (2) पदोन्नति, विभाग स्थानांतरण, कार्यमुक्त करने आदि के संबंध में संस्थान और शिक्षक समय-समय पर ऑनलाइन टीचिंग मैनेजमेंट सिस्टम (ओटीएमएस) में प्रोफाइल अपडेट करेंगे।

- (3) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार पर शिक्षक कोड को वापस लेने की अधिकार होगी।
- (4) चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड के पास शिक्षक कोड को वापस लेने या स्वीकृति न देने का अधिकार होगा। यदि शिक्षक, शिक्षण वृत्ति को छोड़ देता है या किसी भी कारण से किसी भी संस्थान में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है और वह समय-समय पर चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया को परा करने के बाद उसी शिक्षक कोड के साथ शिक्षण वृत्ति में पन: कार्यभार ग्रहण कर सकता है।
- 26. शिक्षक की उपस्थिति:- शिक्षक, भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त, शिक्षक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान 75 प्रतिशत की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखना होगा।
- 27. संकाय सदस्य का विकास और प्रशिक्षण:- प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार, शिक्षकों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी (एम.ई.टी.) या क्वालिटी इनपुट प्रोग्राम (क्यूआईपी) से गुजरना होगा।
- 28. परीक्षक की नियुक्ति: नियमित या सेवानिवृत्त शिक्षक के अतिरिक्त, केवल वही व्यक्ति सिद्धांत मूल्यांकन, व्यावहारिक परीक्षाओं, और मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षक के रूप में सेवा करने के लिए पात्र होंगे, जिनके पास संबंधित विषय में कम से कम पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। एक परीक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष होगी।
- 29. भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 और भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों एवं संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन एवं रेटिंग) विनियम, 2024 का पालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि आयुर्वेद स्नातक पाठ्यक्रम के पिछले साढ़े पांच वर्षों के लिए एक शिक्षण अस्पताल स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्याय -IV

अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नए आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना:-

- 30. पूर्वापेक्षाएँ : (1) निर्धारित प्रारूप में संबंधित राज्य सरकारों से अनिवार्यता प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-l के अनुसार)
 - (2) संबद्धता विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति अनुलग्नक-II के अनुसार।
 - (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि दस्तावेज।
 - (4) भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा आदि सहित भवन दस्तावेज, सक्षम अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित।
 - (5) आयुर्वेद अस्पताल शुरू करने या मौजूदा अस्पताल के संचालन लिए, जैसी भी स्थिति हो, सभी प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
 - (6) प्रत्येक अस्पताल के पास राष्ट्रीय अस्पताल मानकीकरण बोर्ड से कम से कम प्रवेश स्तर की मान्यता आवश्यक होगी।
 - (7) नैदानिक प्रशिक्षण सुविधाएं: (क) आयुर्वेद गुरुकुलम में या तो पूर्ण रूप से कार्यात्मक आयुर्वेद अस्पताल होगा जो कम से कम दो वर्षों के लिए स्थापित किया गया हो, या निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आयुर्वेद अस्पताल स्थापित किया जाएगा:
 - (ख) आवेदक सात वर्ष और छह माह के स्नातक आयुर्वेद पाठ्यक्रमों के पहले बैच के आरंभ के साथ-साथ एक आयुर्वेद अस्पताल शुरू कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अस्पताल भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन, और स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए रेटिंग) विनियम, 2024 में उल्लिखित सभी मानदंडों का पालन करता है।

- (ग) अस्पताल में एक बाह्य रोगी विभाग शामिल होगा जिसमें स्वास्थ्यरक्षन, कायचिकित्सा, शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र नेत्र, शलाक्य तंत्र के.एन.एम. (कर्ण नासा मुख), प्रसुति और स्त्री रोग, कौमारभृत्य, पंचकर्म और विष चिकित्सा के क्षेत्र शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, इसे बीस बिस्तरों की न्यूनतम रोगी विभाग क्षमता बनानी होगी, जो आवश्यक सुविधाओं जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, एक लेबर रूम, एक समर्पित पंचकर्म थेरेपी सेक्शन और एक क्रियाकल्प थेरेपी सेक्शन से सुसज्जित होगा।
- (घ) अस्पताल दो वर्ष के भीतर अंतरंग रोगी विभाग की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत बिस्तर अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग में एक सौ बीस रोगियों की न्यूनतम दैनिक उपस्थिति होगी।

स्पष्टीकरण - बुनियादी ढांचे में क्रमिक वृद्धि अधिकतम चार चरणों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक चरण का समर्थन उपयुक्त दस्तावेज़ों द्वारा किया जाएगा, जिसमें निर्माण कार्य, उपकरणों/सहायक उपकरणों की खरीद, मानव संसाधन की नियुक्ति, वेतन, और अन्य संबंधित व्यय शामिल होंगे।

- 31. नए आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना की अनुमित देने की प्रक्रिया (1) नए आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की घोषणा की जाएगी और आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
 - (2) कोई भी आवेदक (ट्रस्ट, सोसाइटी, विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार को छोड़कर कोई अन्य निकाय) जो आयुर्वेद गुरुकुलम स्थापित करना चाहता है, इन नियमों में उल्लिखित पूर्वापेक्षा और पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए है, सभी प्रासंगिक और आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को आवेदन जमा कर सकता है जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
 - (3) शुल्क, तालिका-10 में निर्दिष्ट अनुसार लागू किया जाएगा।

तालिका-10 आयर्वेद गरुकलम की स्थापना के लिए शल्क का विवरण

	બાબુવવ મુસ્યુસ્તન	नगरवानगा नगराष्ट्र सुरुनगनगाववरण
क्रम	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि
संख्या		(रुपए लाखों में)
1	आवेदन शुल्क	2.0
2	प्रक्रिया शुल्क	10.0

नोट-1: लागू कर अलग से लगाए जाएगें।

नोट-2: लागू करों के साथ शुल्क राशि का भुगतान एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में किया जाएगा

(4) वार्षिक विजिटेशन और डिजिटलीकरण शुल्क तालिका-11 में निर्दिष्ट अनुसार लागू होगा।

तालिका-11 वार्षिक विजिटेशन और डिजिटलीकरण शुल्क

	नामिकामान्यसम् आर्गानान्यसम्	
क्रम संख्या	शुल्क का प्रकार	शुल्क की राशि (रुपये लाख में))
1	विजिटेशन (दौरा) या निरीक्षण या आकलन शुल्क	5.0
2	डिजिटलीकरण शुल्क	1.0

नोट-1: लागु कर अलग से लगाए जाएगें।

नोट -2: शुल्क राशि का भुगतान लागू करों के साथ एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में किया जाएगा।

- (5) यदि आवेदन अपेक्षित मानदंडों को पूरा करता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धित आकलन एवं रेटिंग बोर्ड समय-समय पर उक्त बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके (ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या हाइब्रिड मोड) में साइट विजिट (विजिटेशन), निरीक्षण या आकलन करेगा।
- (6) आवेदन की प्रक्रिया, आशय पत्र जारी करना, अनुमित पत्र और अनुमित का नवीनीकरण भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद कॉलेजों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024 में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (7) इस कार्यक्रम के लिए अनुमित पत्र जारी होने पर, नवीकरण प्रक्रिया स्नातकीय कार्यक्रम (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी) की पूर्ण स्थापना तक जारी रहेगी।
- (8) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी की गयी कोई भी अस्वीकृति प्री-आयुर्वेद और स्नातकीय आयुर्वेद कार्यक्रम दोनों कार्यक्रमों के लिए लागू होगी।

अनुलग्नक -l नए आयुर्वेद गुरुकुलम स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन

क्र.सं.	विस्तृत ब्योरा	विवरण
	भाग-I - आवेदक विवरण	
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड के साथ पूरा पता	
3	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	
4	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5	आवेदक की स्थिति : चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र शासित	
	प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या संस्थान का प्रकार (सरकारी या	
	सहायता प्राप्त या निजी)	
6	ट्रस्ट की संरचना	
	सोसाइटी या ट्रस्ट के सदस्यों, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्रमुख	
	या परियोजना निदेशक, मौजूदा अस्पताल के प्रमुख, चिकित्सा	
	शिक्षा के क्षेत्र में उनकी योग्यता और अनुभव के साथ-साथ	
	परियोजना के प्रमुख या निदेशक और अस्पताल के प्रमुख की	
	योग्यता और अनुभव का विवरण। आवेदक निकाय का पंजीयन या निगमन	
7	आवदक ।नकाय का पंजायन या ।नगमन (संख्या और तिथि, यदि कोई हो)	
	,	हां या नहीं
8	क्या उसी ट्रस्ट, सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई	हा या महा
	अन्य आयुर्वेद कॉलेज है?	
	(क) यदि हां, तो दो कॉलेजों के बीच की दूरी का उल्लेख करें।	
	(ख) पूर्वोक्त की प्रिंट कॉपी के साथ कॉलेज का जीपीएस लिंक	
	प्रदान करें।	
9	परियोजना के वित्तपोषण के साधन	
	(क) आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	(ख) अनुदान (प्रमाण संलग्न करें)	

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

	(ग) दान (प्रमाण संलग्न करें)	
	(घ) इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें)	
	(ङ) सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें)	
•	(च) अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें)	
10	भुगतान किए गए शुल्क का विवरण	
	(क) आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	(ख) प्रोसेसिंग शुल्क लेनदेन आईडी	
	भाग-II - महत्वपूर्ण आवश्यव	ज्ताएं
11	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी	
	'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' की तिथि।	
12	अनिवार्यता प्रमाण पत्र की वैधता	से
13	कार्यक्रम के लिए संबद्धता की सहमति की तिथि	
14	कार्यक्रम के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष	से
	भाग-III- प्रस्तावित कॉलेज का	विवरण
15	प्रस्तावित आयुर्वेद गुरुकुलम का नाम	
16	कॉलेज के प्रधानाचार्य का नाम	
17	छात्रों की प्रस्तावित वार्षिक ग्रहण क्षमता	
18	आधिकारिक टेलीफोन नंबर	
19	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
20	कॉलेज और अस्पताल का जीपीएस लिंक की प्रिंट कॉपी के साथ	
21	कुल भूमि क्षेत्र	
22	भूमि लीज पर या स्वयं की है	
	(प्रमाण संलग्न करें)	
	यदि यह लीज पर है, तो लीज के वर्ष	
23	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II)	
24	संबंधित अधिकारियों से संबंधित भवन निर्माण की अनुमति	
	(प्रमाण संलग्न करें)	
25	भवन योजना का ब्लूप्रिंट (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
26	प्रशासनिक ब्लॉक अवसंरचना	1
	(क) प्रशासन मंडल का कुल क्षेत्र: प्रशासनिक ब्लॉक	
	(ख) अध्यायन का कुल क्षेत्र- अध्यापन मंडल	
	(शैक्षणिक ब्लॉक)	
	(ग) चिकित्सा और स्वास्थ्य मंडल का कुल क्षेत्र	
	(शिक्षण अस्पताल ब्लॉक)	
	(घ) निवास मंडल का कुल क्षेत्र (छात्र छात्रावास और आवासीय	

	परिसर)				
	(ङ) गौशाला का कुल क्षेत्रफल (यदि हो)				
27	शिक्षण कर्मचारी				
28	उपलब्ध पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या				
29	भाग-IV- मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावि	त्रेत स्थल की विशेषताएं			
	(क) स्थलाकृति				
	(ख) प्लॉट आकार				
	(ग) अनुमेय फ्लोर स्पेस इंडेक्स				
	(घ) ग्राउंड कवरेज				
	(ङ) भवन की ऊंचाई				
	(च) सड़क पहुंच				
	(छ) सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता				
	(ज) विद्युत आपूर्ति				
	(झ) जल आपूर्ति				
	(ञ) सीवरेज कनेक्शन				
	(ट) संचार सुविधाएं				
	(ठ) प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का मास्टर प्लान				
	(इ) लेआउट योजना, खंड				
	(ढ) ऊंचाई और मंजिलवार क्षेत्र गणना				
30	आयुर्वेद गुरुकुलम लेख की खरीद का विवरण				
	(मांगपत्र और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)				
31	प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)				
32	भाग-V- बैंकिंग वि	विरण			
	(क) खाते का नाम				
	(ख) कॉलेज के नाम से खाता संख्या				
	(ग) बैंक का नाम				
	(घ) बैंक की शाखा का नाम				
	भाग-VI - अस्पताल का विवरण				
33	अस्पताल का नाम, पता और विवरण				
34	अस्पताल की स्थापना की तिथि				
35	अस्पताल का पंजीयन प्रमाण पत्र				
36	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (प्रति संलग्न करें)				
37	बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से				
	अनुमति (प्रति संलग्न करें)				
38	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीनीकरण (संलग्न प्रमाण तक वैध)				
	पत्राचार्य (राहास समाय राम पव)				

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

1							_
39	अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन						
	बोर्ड (एनएबीएच) प्रमाणन की तिथि और स्तर						
	अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन				से		
	बोर्ड (एनएबीएच) प्रमाणन की तिथि और स्तर प्रमाणन की						
	वैधता						
40	एक्स-रे की अनुमति						
41	बिस्तरों की संख्या / उपलब्धता						
42	आईपीडी बिस्तरों की उपलब्धता						
43	अस्पताल के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की		हां या न	हीं			
	उपलब्धता						
44	अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण:-	क्रम	स्टाफ	पद	अर्हता	अनुभव	
	 प्रशासनिक कर्मचारी 	संख्या	का	का			
	 कार्यालय के कर्मचारी 		नाम	नाम			
	अस्पताल के कर्मचारी						
	• नर्सिंग स्टाफ						
	• सहायक कर्मचारी	<u> </u>	ı	l			
45	परामर्शदाता के नाम और विवरण के साथ-साथ प्रचालनरत बाह्य						
	रोगी विभाग (ओपीडी) इकाइयों की संख्या।						_
46	बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) इकाइयों की संख्या						
47	भाग-VII -बैंर्किंग विवरण						
	(क) खाते का नाम						
	(ख) अस्पताल के नाम से खाता संख्या						
	(ग) बैंक का नाम						
	(घ) बैंक की शाखा का नाम						
48	अस्पताल उपभोज्य सामग्री की खरीद का विवरण						
	(मांगपत्र और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)						
49	प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)		_		_		

आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम

स्थान:

दिनांक:

संलग्न पत्रों की सूची:

- 1. ट्रस्टी के नाम के साथ उपविधि या ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों या ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।
- 2. पंजीयन या ट्रस्ट के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- 3. स्वामित्व या लीज एग्रीमेंट डीड्स के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वत्वाधिकार डीड्स की प्रमाणित प्रति।
- 4. उपलब्ध स्थानों (साइटों) के लिए ज़ोनिंग योजनाओं की एक प्रमाणित प्रति जो उनके भूमि उपयोग को इंगित करती हो।
- 5. पूर्व अस्पताल पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।

- 6. प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति ।
- 7. नया आयुर्वेद गुरुकुलम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी नई दिल्ली द्वारा जारी 'संबद्धता सहमित' की प्रमाणित प्रति।
- 8. एक शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि आयुर्वेद गुरुकुलम के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से आयुर्वेद बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए हैं।
- 9. एक शपथपत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्री आयुर्वेद के लिए प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-पीए) में योग्यता के आधार पर और केवल काउंसलिंग (या तो केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से होगा और भारतीय चिकित्सा पद्धिति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- 10. एक शपथपत्र जिसमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम, पाठ्य-विवरण, पाठ्यचर्या या कार्यक्रम नामकरण, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और मानव संसाधन, छात्र-शिक्षक अनुपात सहित, प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- 11. आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क के प्रेषण का प्रमाण।
- 12. आवेदक द्वारा बैंकरों को संबोधित एक प्राधिकरण पत्र, जो भारतीय चिकित्सा पद्धित चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग को आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र जांच करने के लिए अधिकृत करता है।
- 13. आवेदन पत्र के विभिन्न वर्गों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण निर्दिष्ट करें) -
- 14. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रति: कॉलेज और अस्पताल।
- 15. अस्पताल के कर्मचारियों की पिछले दो वर्षों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रति।

अनुलग्नक -II (राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया जाना है) आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र

(विनियमन संदर्भ -28(1) (क))

संदर्भ स	ख्या दिनां	क
	आवेदक का मूल विवरण	
1	आवेदक का नाम	
2	पता	
3	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी)	
	प्रस्तावित आयुर्वेद गुरुकुलम का नाम	
4	प्रस्तावित आयुर्वेद गुरुकुलम का पता	
	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता	50
5	क्या आवेदक पहले से ही आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज या आयुर्वेद गुरुकुलम चला रहा है?	हाँ या नहीं
6	यदि हाँ, तो निकटतम कॉलेज और प्रस्तावित कॉलेज के बीच की दूरी क्या है?	
	(यदि दूरी 25 किलोमीटर या उससे कम है, तो अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा	एगा)
	अन्य विवरण	
7	राज्य में पहले से मौजूद आयुर्वेद गुरुकुलम की संख्या	

8	राज्य की जनसंख्या (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रत्येक पांच करोड़ लोगों के लिए एक आयुर्वेद गुरुकुलम की अनुमति दी जाएगी)।	
9	आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों के लिए) की उपलब्धता का दायरा।	पर्याप्त या अपर्याप्त
10	अस्पताल का पंजीयन संख्या	
11	राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर प्रवेश पाने के इच्छुक गैर-अधिवासित छात्रों पर	
	लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रतिबंध यदि कोई हों, को निर्दिष्ट किया जाएगा।	

नया आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अनिवार्यता (एसेंशियलिटी) प्रमाणपत्र

अनिवार्यता प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाएगा:

- 1. आयुर्वेद गुरुकुलम भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार और चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश देगा।
- 2. आयुर्वेद गुरुकुलम उसी परिसर में किसी भी अन्य कॉलेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा, जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।
- 3. आयुर्वेद गुरुकुलम बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- 4. आयुर्वेद गुरुकुलम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों, दिशानिर्देशों या नीतियों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
- 5. आयुर्वेद गुरुकुलम स्वायत्त बोर्डों, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
- 6. आयुर्वेद गुरुकुलम को किसी अन्य समाज या ट्रस्ट को सौंपने की स्थिति में, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से एक पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।
- 7. भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग या चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धित आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमित देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जिन्हें पहले ही कॉलेज में प्रवेश दिया जा चुका है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर) कार्यालय सील दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक -III संबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाना है)

(विनियमन संदर्भ -28 (1) (ख)

आयुर्वेद गुरुकुलम की स्थापना के लिए आवेदन जमा करने के लिए पूर्व शर्त

	3113113 313	विमा कालपु जावदम जमा करम कालपु पूर्व रात			
क्रम	विश्वविद्यालय विवरण				
संख्या					
राजना					
1	विश्वविद्यालय का नाम				
2	पता				
3	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्रीय या राज्य, सरकारी डीम्ड या प्राइवेट डीम्ड या प्राइवेट स्टेट।			
4	सम्पर्क का विवरण				
5	संबंधित / संपर्क व्यक्ति (नाम और पदनाम) मोबाइल नंबर मेल आईडी				
6	स्थापना का वर्ष				
7	मौजूदा संकायों				
8	प्रत्यायन यदि कोई हो				

संबद्धता की सहमति

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय को संबद्धता की सहमति जारी करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई है........ (प्रस्तावित आयुर्वेद गुरुकुलम का नाम)....... शैक्षिक वर्ष (वर्षों)....... के लिए पचास सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ........

संबद्धता की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर जारी की जाती है:

- 1. आयुर्वेद गुरुकुलम बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता से संबंधित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों का पालन करेगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- 2. आयुर्वेद गुरुकुलम केवल एक ऑनलाइन परामर्श (काउन्सिलंग) प्रक्रिया (केंद्रीय, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देगा, जैसा कि संबंधित नियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- 3. आयुर्वेद गुरुकुलम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।
- 4. आयुर्वेद गुरुकुलम प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन माह पहले प्रत्येक वर्ष संबद्धता के नवीनीकरण को जारी रखेगा।
- 5. किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता परिवर्तन की स्थिति में या डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने से पहले वर्तमान संबद्धता विश्वविद्यालय से एक पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- 6. वर्तमान विश्वविद्यालय से संबद्धता समाप्त होने की स्थिति में, मौजूदा बैच वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ तब तक जारी रहेंगे जब तक कि अंतिम छात्र को उपाधि (डिग्री) प्रदान नहीं की जाती है।

7. ऐसी स्थिति में जहां आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार आयुर्वेद गुरुकुलम के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को स्थापित करने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे। इसके बाद विश्वविद्यालय, भारतीय चिकित्सा पद्धित आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धित राष्ट्रीय आयोग की अनुमित से आयुर्वेद गुरुकुलम में पहले से नामांकित छात्रों का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।

कुल सचिव (मुहर के साथ हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./634/2024-25]

- नोट 1: इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई भी प्रश्न आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और आयोग का निर्णय इस प्रकरण में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- नोट 2: यदि नियमों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2024

F. No. BOA/3-B/PAP/2024.—In exercise of the powers conferred by sub-cluases (h), (i), (j) and (zb) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020, (14 of 2020) read with regulation 9 of the National Commission for Indian System of Medicine (National Examination for Indian System of Medicine) Regulations 2023, the Commission hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER-I PRELIMANARY

- 1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Pre-Ayurveda-Programme for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

- (b) "Seven and half years Ayurveda- Programme" means a residential graduation programme of two years of Pre-Ayurveda, four and half years of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery and one year of compulsory rotatory internship and having provision for admission to under graduate course after tenth class through National Eligibility-cum-Entrance Test for Pre-Ayurveda.
- (c) "Ayurveda Gurukulam" means a standalone residential Ayurveda institution or college along with the teaching hospital for total seven and half years Degree Program of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery along with two years Pre Ayurveda-Program;
- (d) "Annexure" means an annexure annexed to these regulations;
- (e) "Appendix" means an appendix appended to these regulations;
- (f) "Institution" means the Ayurveda Gurukulam; and
- (g) "NEET-PAP" means National Eligibility cum Entrance Test for Pre Ayurveda Programme.
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.
- **3.** General considerations. (1) Seven and half years Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery program, to be conducted in the Ayurveda Gurukulam.
 - (2) The institution shall be called Ayurveda Gurukulam with a prefix or suffix as the management desires.
 - (3) All Ayurveda Gurukulams shall be affiliated to the Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi.
 - (4) The number of such Ayurveda Gurukulams shall be in proportion to the population of the States or Union territory. Administration for up to five-crore population, there shall be an another Ayurveda Gurukulam in the States or Union territory Administration.
 - (5) The existing Ayurveda institutions and Ayurveda Gurukulam shall not be allowed to convert *vice-versa*.
 - (6) Programmes offered in the Ayurveda Gurukulam shall be seven and half years Ayurveda undergraduate programme (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) along with two years Pre Ayurveda Program and only those courses that have been allowed by the Commission for Ayurveda Gurukulam shall be allowed in the Ayurveda Gurukulam premises.
 - (7) (a) The Ayurveda Gurukulum shall install online systems such as Learning Management Systems; Hospital Information Management System (compatible with Ayushman Bharat Health Account, Health Professional Registry and Unique Health Identification number); Aadhaar Enabled Biometric Attendance System or iris recognition or face recognition attendance system and the like as directed by the Commission for marking attendance of Teaching staff, non-teaching staff, hospital staff and Undergraduate students;
 - (b) Closed Circuit Television and any other systems as directed by the Commission from time to time, shall be installed and shall be aligned or interface to the Central server as designated by the Commission and shall provide real time data or relevant data to the Commission and its autonomous Boards as required;
 - (c) the biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or the Autonomous Boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as assigned by the Commission
 - (8) The authentication of the patients shall be made through the Ayushman Bharat Health Account number.
 - (9) All the constructions in the Ayurveda Gurukulam shall depict traditional Gurukulam and shall follow green campus concepts.

CHAPTER-II

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR PRE-AYURVEDA PROGRAMME

4. Requirement of Land. - (1) The minimum requirement of land for an Ayurveda Gurukulam with fifty intake capacity shall be as provided in Table-1

Table-1 Minimum Required Land

Serial Number	Area category	Minimum Required Land (in acres)
1	Tier I or Mega and Metro*	\$
2	Tier II cities, North-eastern States, Hilly areas and notified tribal areas	10
3	Any other area except the areas specified in Serial Number 1 and 2	15

^{*}Mega and Metro: Greater Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat as per census of India in force.

Note: -\$ the following conditions need to be adhered for the land requirements;

- a) The land required in Mega and Metro cities shall be calculated on the basis of required constructed area as specified in these regulations and municipal corporation bye-laws.
- b) The built-up area has to be approved by the concerned development authority as per the latest building byelaws (development controls) in that city.
- c) A copy of certified building bye-laws of that city shall be made available by the applicant institution.
- d) Copy of the approved plan from local statutory body and the completion plan along with completion certificate from the same body shall also be provided.
- e) The provisional occupancy certificate shall be considered only for three consecutive academic years;
- f) there after only afore- mentioned completion certificate and completion plan shall be considered for renewal of permission.
- (2) The land shall not be in more than two plots and the radial distance between the two plots shall not exceed five kilometers.
- (3) The two plots separated by the road or canal or rivulet but connected with a bridge shall be treated as one piece of land.
- (4) In case of two campuses, teaching hospital and intern's hostel shall be in the same campus.
- (5) The land shall be owned by the applicant or on lease in the name of the applicant, for a period not less than thirty years and the renewal shall be required on the expiry of the lease agreement.
- **5.** The Ayurveda Gurukulam shall consist of:
 - (a) Prashasana Mandala (Administrative Block);
 - (b) Adhyayana Adhyapana Mandala (Academic Block);
 - (c) Chikitsa and Swasthya Mandala (Teaching Hospital Block);
 - (d) Nivasa Mandala (Residential Complex);
 - (e) Goushala (cow barn): optional.
- **6.** Prashasana Mandala (Administrative Block). (1) The minimum requirement of constructed area for various units of Prashasana Mandala shall be as provided in Table-2.
 - (2) The Prashasan Mandala shall be common for all the programs of Ayurveda Gurukulam.

Table-2 Minimum Required Constructed Area for Administrative Block

Serial	Unit Minimum Required Ar		
Number	Cilit	(Sq.mt)	
1	Head of the Institution (Director or Dean or Principal) Office including anteroom and attached toilet	50	

2	PA to head of the institution	10
3	College Council Meeting Room	150
4	Pantry	05
5	Visitors lounge for visitors to head of the institute	20
6	Deputy Director or Deputy Dean or vice-principal (2 posts: one each for Pre-Ayurveda and BAMS)	40 (20+20)
7	Office superintendent	10
8	Clerical staff, accounts section	60
9	Toilets for office staff	20
10	Visitors lounge for office visitors	20
11	Record room	40
12	Central store	50

- **7.** Adhyayana Adhyapana Mandala (Academic Block).- (1) There shall be an independent academic block having minimum of one thousand square meters area for first two years (Pre-Ayurveda) teaching of seven and half years undergraduate course which includes:
 - (2) (a) five independent teaching departments for first two years course that is Department of languages and Darshanas including language laboratory (25+100 square meters), Department of Physics including physics laboratory (Twenty five + Hundred square meters), Department of Chemistry including Chemistry laboratory (Twenty five + Hundred square meters), Department of Mathematics (Twenty five square meters) and Department of Biology including biology laboratory (Twenty five + Hundred meters) shall be available. The Minimum Essential instruments and equipment for Physics, Chemistry and Biology shall be as specified by CBSE.
 - (b) Department of languages and Darshanas shall includes Sanskrit, English and Darshanas, introduction to Ayurveda.
 - (3) (a) There shall be two classrooms for first and second year of seven and half years of undergraduate program with seating capacity of sixty students each;
 - (b) Two discussion rooms with seating capacity of thirty students each.
 - (4) There shall be a library (Central and Digital) which is in addition to the specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024, there shall be additional space of sixty square meters and two thousand books of relevant titles of first two years subjects.
 - (5) Minimum essential standards in terms of Infrastructure, human resources, functionality and the like required for Ayurveda undergraduate program (Bachelor of Ayurvedic Medicine and surgery) shall be as detailed for sixty student intake capacity in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024.
- **8.** Chikitsa and Swasthya Mandala (Teaching Hospital Block)- The Minimum Essential Standards in terms of Infrastructure, human resources, functionality and the like shall be as detailed for sixty student intake capacity in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024.
- 9. Nivasa Mandala. (1) Nivasa Mandala shall include,-
- (a) boys hostel (Independent for first two years of seven and half years Bachelor of Ayurveda in Medicine and Surgery course);
- (b) girls Hostel (independent for first two years of seven and half years Bachelor of Ayurveda in Medicine and Surgery course);

- (c) residential quarters for mentors, wardens;
- (d) staff quarters (optional); and
- (e) sharing accommodation in the hostel shall not be more than two persons per room.
- (2) The hostels shall be well equipped with the necessary amenities such as toilets, mess, reading room, recreational facility and the like and with proper security.

CHAPTER-III

MINIMUM STANDARDS OF EDUCATION FOR SEVEN AND HALF YEARS UNDERGRADUATE PROGRAMME

- 10. Purpose of Pre-Ayurveda program is, -
 - (1) to prepare the student to learn and understand Ayurveda, rooted in the relevant Bharateeya Shastras and Sanskrit language;
 - (2) to prepare the student to study Ayurveda authentically from its classical sources and eventually to become a holistic practitioner;
 - (3) to orient the student to imbibe the values of Indian culture and tradition through the Ayurveda Gurukulam model of education and;
 - (4) to facilitate informal interaction between the Guru and Shishya as an important component of the teaching-learning process.
- 11. Admission capacity. The admission capacity for each Ayurveda Gurukulam shall be fifty seats for every academic session.
- **12.** Eligibility criteria for admission. (1) The eligibility for admission into seven and half years Programme for Bachelor of Ayurvedic Medicine Surgery shall be as under:
 - (a) the candidate shall have passed 10th standard in 10+2 pattern; or in 5+3+3+4 pattern from any recognized Board including Sanskrit board of state or any equivalent recognized board;
 - (b) no candidate shall be admitted to this Program unless he has attained the age of fifteen years on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the program.
 - (2) There shall be a uniform entrance examination in Sanskrit or any other language as specified by the Commission from time to time for all Ayurveda Gurukulam for seven and half years Ayurveda undergraduate Program namely, the National Eligibility-cum-entrance Test Pre-Ayurveda Programme in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Commission, in order to consider eligible for admission to Pre-Ayurveda Programme, it shall be necessary for a general candidate to obtain minimum marks at fifty percent and at forty percent for the candidates belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the other Backward classes and candidate with disabilities under the Rights of Person with disabilities Act, 2016 (49 of 2016) in the National Eligibility cum entrance Test Pre-Ayurveda for Pre-Ayurveda Programme held for the said academic year:

Provided that where sufficient number of candidates in the respective category (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) fail to secure minimum marks in the National Eligibility-cum-entrance Test- Pre-Ayurveda Programme held for any academic year for admission to Pre-Ayurveda Program, the Commission, may lower the minimum marks required for admission to Pre-Ayurveda Program for candidates belonging to respective category and marks so lowered shall be applicable for that academic year only.

(3) An all India common merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility-cum-entrance Test Pre-Ayurveda Programme and the candidates, within the respective category shall be considered for admission to Pre-Ayurveda Program from the said merit list only.

- (4) The reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes Category and Person with Disabilities shall be as per the applicable law in force.
- (5) Online counselling for admission in to Pre-Ayurveda Programme shall be as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum standards of Undergraduate Ayurveda Education) Regulations, 2022, -
 - (i) all seats irrespective of category Central quota, State Quota or management or any other quota as applicable except foreign nationals shall be admitted through online counselling only and direct admission by any means other than above specified shall not be allowed;.
 - (ii) the institutions shall have to submit the list of students admitted in the format and time specified by the Commission from time to time for verification;
 - (iii) Central Sanskrit University shall approve the admission of those candidates (except foreign nationals) who have been allotted through Online Counselling;
 - (iv) no authority or institution shall admit any candidate to the seven and half years undergraduate Ayurveda Programme in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations in respect of admission and any admission made in contravention of the said criteria or procedure shall be cancelled by the Commission forthwith;
 - (v) the authority or institution which grants admission to any student in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations shall be liable for disciplinary action under the relevant provisions of the Act;
 - (vi) any other equivalent qualification for foreign national candidates may be allowed and the provisions under sub-regulation (2) of this regulation shall not be applicable to such candidates.
 - **13.** Duration of the Program: The Program shall be of seven and half years duration including two years of pre Ayurveda program.
 - 14. Pre-Ayurveda Program Certificate.-
 - (1) The candidate shall be awarded Pre-Ayurveda Certificate on completion of duration of Pre-Ayurveda Programme and after passing of all the subjects laid down in Table-3 for Pre-Ayurveda Programme.
 - (2) Pre-Ayurveda Certificate shall be equivalent to 10+2 Certificate and Pre-Ayurveda qualified candidates shall be eligible for those programs where the eligibility is 10+2 or its equivalent.
 - **15.** Medium of instruction. The medium of instruction for the Program shall be Sanskrit or Hindi or English or any recognized Indian regional languages in the 8th schedule to the constitution of India:
 - Provided that, if any Ayurveda Gurukulam is admitting students from different states or international students, the medium of instruction shall be in Sanskrit or English.
 - **16.** Mentor. -(1) There shall be a mentor for each group of 25 students and the same mentor shall continue for all the years of study in Ayurveda Gurukulam, if the mentor and student are not compatible with each other, then a fair chance shall be given to the student to change the mentor.
 - (2) The mentor shall be a teacher of any subject, preferably with knowledge in Sanskrit with integrity and dedication to teaching.
 - (3) He or she shall be responsible for the overall development of students.
 - (4) He or she shall stay in the residential campus of the Ayurveda Gurukulam.
 - (5) The mentor shall not be a warden of the student's hostel.
 - (6) He or she shall be aware of adolescent psychology, Prakriti (sharirika and manasika) and human behavior.
- 17. Pattern of study. (1) This Program shall consist of main subjects and electives and the ratio of lecture to non-lecture hours shall be around 1:2 and the Ayurveda Gurukulam may offer different skill options for the students.
 - (2) The formal education shall include course curriculum as per competency-based syllabus developed in accordance with the National Curriculum Framework based on the National Education Policy 2020.

- (3) Informal education shall include topics such as Parayanam (Recitation) of Sanskrit texts, skill-based activities like sixty-four Kalas, Computer Programming, Medical Instrumentation, Tadvidyasambhasha, Mathematical Thinking, Life Skills and the like.
 - Explanation.- For the purposes of these regulation the expression "Lectures" means Didactic teaching that is classroom teaching and the expression "Non-lectures" includes Practical or Demonstrative teaching and the Demonstrative teaching includes Small group teaching or Tutorials or Seminars or Symposiums or Assignments or Role play or Laboratory training or Field visits or Skill lab training or Problem based learning or Evidence based learning, etc. as per the requirement of the subject and in Non-lectures, the Practical part shall be seventy percent including recitation and demonstrative teaching shall be thirty per cent.
- (4) There shall be minimum of one hour each for library and physical education per week and one hour of recreation including expression of talent and extra-curricular activities per month in the regular time table of all batches.
- (5) Subjects as specified in Table-3 shall be taught during first and second year of seven and half years of Ayurveda undergraduate program, in addition to the subjects specified in Table-3, students of first two years shall also qualify five online elective courses during the first two years of course and apart from five mandatory electives, students have freedom to qualify as many numbers of additional electives, however, marks weightage shall be given only for five electives.
- (6) A separate online certificate shall be issued for each elective.

Table-3
Subjects for first two years

Serial	Subject	Subjects			
Number	Code	First Year	Second Year		
1	TC	Transitional Curriculum	-		
2	SN	Sanskrit	Sanskrit		
3	E or IL	English or Indian languages	English or Indian languages		
4	PH	Physics	Physics		
5	СН	Chemistry	Chemistry		
6	MT	Mathematics	Mathematics		
7	BI	Biology	Biology		
8	BDS	Bharatheeya Darsanas and Shastras (Indian Philosophy and Knowledge Systems)	-		
9	IAY	-	Introduction to Ayurveda		

(7) working hours may be increased in the Ayurveda Guruklam as per requirement to complete the stipulated period of teaching and requisite activity and the teaching hours for this Program shall be as laid down by the Commission from time to time and the teaching hours for subjects of first two years shall be as specified in Table-4.

Table-4
Teaching Hours for first two years Subjects

Serial Number	Subjects code	First Year		Second Year			
		Lectures	Non- Lectures	Total	Lectures	Non- Lectures	Total
1	SN including Transitional Curriculum	250	330	580	150	250	400
2	E or IL	200	40	240	100	150	250
3	PH	120	200	320	150	200	350

4	СН	120	200	320	150	200	350
5	MT	120	160	280	100	150	250
6	BI	120	200	320	180	250	430
7	BDS	100	40	140	-	-	-
8	IAY	-	-	-	120	50	170
	Total	1030	1170	2200	950	1250	2200

- **18.** Examination. (1) Assessment of students shall be in the form of formative and summative assessments as under:
- (a) Students shall be assessed periodically to assess their performance in the class, to determine the understanding of program material and their learning outcome in the following manner, namely:
 - (i) Periodical assessment shall be carried out at the end of teaching of a topic or module or a particular portion of syllabus and the evaluation methods as per the following Table-5 may be adopted, namely:-

Table-5
Evaluation methods for periodical assessment

Distribution methods for periodical assessment			
Serial Number	Evaluation Method		
1	Practical		
2	Viva Voce, MCQs, MEQ (Modified Essay Questions or Structured Questions)		
3	Open Book Test (Problem Based)		
4	Summary Writing (Research Papers or Samhitas)		
5	Class Presentations; Work Book Maintenance		
6	Problem Based Assignment		
7	Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OPSE), Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), Direct Observation of Procedures (DOP), Case Based Discussion (CBD)		
8	Extra-curricular Activities, (Social Work, Public Awareness, Surveillance Activities, Sports or Other Activities which may be decided by the department).		
9	Small Projects		

- (ii) internal evaluation shall be conducted by the Ayurveda Gurukulam at the end of six months (First Term Test) for fifty per cent. of the syllabus and at twelve months (Second Term Test) for the remaining fifty per cent. of the syllabus in the first year of the Program and in the second year, there shall be an internal assessment at the end of six months (Third Term Test) for fifty per cent. of the second-year syllabus.
- (b) At the end of Second Year, University Examination shall be conducted for entire syllabus of the two years Program.
 - (i) the second-year examination shall ordinarily be held and completed by the end of Second year session; subject wise number of papers and marks distribution shall be as per the following Table-6, namely: -

Table -6 Number of Papers and Marks Distribution for Pre-Ayurveda Subjects

					Practic	al Assessmer	nt		
Serial Number	Subject Code	Number of Papers	Theory Marks	Practical or Clinical	Viva	Electives	IA	Sub Total	Grand Total
1	SN	2	200 (100*2)	-	30	10	10	50	250
2	E or IL	1	100	-	30	10	10	50	150
3	PH	1	100	30	10	-	10	50	150
4	СН	1	100	30	10	-	10	50	150
5	MT	1	100	-	30	10	10	50	150
6	BI	1	100	30	10	ı	10	50	150
7	BDS	1	100	-	30	10	10	50	150
8	IAY	1	100	1	30	10	10	50	150
							Gra	nd Total	1300

- (c) Evaluation of electives. (i) electives shall be evaluated in terms of attendance and assessment and on the basis of evaluation, the student shall be awarded credits as well as grades;
- (ii) one credit shall be awarded for attending minimum five hours of a module and the student can earn maximum five credits for each elective;
- (iii) weightage of two marks for each credit and a maximum of ten marks shall be awarded for each elective; and
- (iv) these elective marks shall be added to the *viva-voce* marks of respective subjects.
- (v) online assessment shall be carried out at the end of each module. Average of five modular assessments shall be considered for grading, that is up to 25 per cent. Bronze; 26-50 per cent. Silver;51-75 per cent. Gold; 76 percent and above platinum.
- (d) The students shall be declared pass on obtaining minimum 50 per cent. of marks in theory and practical separately.
 - (i) A candidate obtaining 65 per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy five percent and above marks shall be awarded distinction in the subject.
 - (ii) The award of class and distinction shall not be applicable for supplementary examinations.
 - (iii) Each student shall be required to maintain minimum seventy five percent attendance in each subject in theory (lecture hours) practical (non-lecture hours) separately for appearing in examination
 - (iv) If a student fails to appear in the regular examination for cognitive reasons, he may appear in the supplementary examination as a regular student, and his non-appearance in the regular examination shall not be treated as an attempt.
- **19.** Academic Calendar.- The University shall prepare academic calendar of that particular batch in accordance with the template of tentative academic calendar laid down in Table-7 and the same shall be circulated to students and hosted in respective websites and followed accordingly.

TABLE-7 TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR FOR FIRST TWO YEARS OF SEVEN AND HALF YEARS PROGRAMME

ACADEMIC ACTIVITY	DATE or PERIOD	
Commencement of first year Pre-Ayurveda	First Working Day of October	
First Term Test	March (sixth month)	
Summer Vacation (Two Weeks)	May	
Second Term Test	September (twelfth month)	
Annual vacation (Two Weeks)	September (twentii iiiontii)	
Commencement of Second year of Pre-Ayurveda	First Working Day of October (Thirteenth Month)	
Third Term Test	March (Eighteenth Month)	
Summer Vacation (Two Weeks)	May	
University Examination		
Annual vacation (Two Weeks)	September (Twenty fourth Month)	

- Note1: Institutions or Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.
- Note 2: Sunday will be a holiday. All other holidays as per state rules, shall apply to the Ayurveda Gurukulam. The long vacations, such as summer vacations and diwali vacations, may be decided as per the University rules. There shall not be any preparatory leave for the examinations.
- **20.** Migration of student during the study. Students may be allowed to take migration from one Ayurveda Gurukulam to another against vacant seats with the mutual consent of both Ayurveda Gurukulams with prior intimation to the University and no migration shall be allowed from the Ayurveda Gurukulam to regular Ayurveda institutes and *vice-versa*.
- **21.** Tuition Fee. (1) Tuition fee for the Ayurveda Gurukulam students shall not exceed the fee fixed by the fee fixation committee of the University in consultation with the Commission.
 - (2) No tuition fee shall be charged for extended duration of study in case of failing in examinations or by any other reasons.
- **22.** (1) The qualification and number of required teaching staff for Pre-Ayurveda Program shall be as per Table-8.

Table-8

Qualifications for Teaching Staff

Serial Number	Subject	Minimum number of required teachers	Qualification
1	Sanskrit	2	M.A. Sanskrit, Acharya
2	English	2	M.A. English
3	Physics	2	M.Sc. Physics
4	Chemistry	2	M.Sc. Chemistry
5	Mathematics	2	M.Sc. Mathematics

6	Biology	2	M.Sc. Biology	
7	Bharatheeya Darsanas and Shastras		M.D. Ayurveda in Samhita and Siddhanta	
8	Introduction to Ayurveda	2	or M.A. (Darshan) or Acharya with Master's degree in Sanskrit	

Note- Out of two teachers at least one teacher shall be of higher faculty that is Professor or Associate Professor or Reader.

- (2) Qualification for Yoga instructor (full time) shall be minimum graduate degree in Yoga and no teacher code shall be required for the post of instructor.
- (3) The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-
 - (a) For the post of Professor: Ten years of teaching experience as regular teacher in the concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) on regular basis in the concerned subject.
 - (b) For the post of Associate Professor: Five years of teaching experience as regular teacher in the concerned subject.
 - (c) For the post of Assistant Professor: No teaching experience shall be required.
 - (d) Qualification and Experience for the Post of Head of the Institution: (i) the qualification for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director as the case may be) shall be the post-graduate degree (Master in Doctorate or Master in Surgery) in Ayurveda system;
 - (ii) experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director as the case may be) shall be the same as specified for the post of Professor with minimum three years of administrative experience as Vice Principal or Head of the Department or Deputy Medical Superintendent or Medical Superintendent; and
 - (iii) the post-graduate degree in Master in Doctorate or Master in Surgery in Ayurveda who has undergone training on Educational Administration conducted by the commission or specified by the commission from time to time.
 - (e) shall have been qualified for the National Teachers Eligibility Test where ever applicable.
- 23. Salary. (1) For the teacher of Government or Government aided Institution or Government Deemed University, the salary and allowances including non-practicing allowance as applicable shall be paid to the teacher at par with the norms laid down by the Central Government or University Grants Commission or the State Government or Union territory administration as the case may be, and there shall not be any discrepancy of salary structure between medical systems in India.
 - (2) For the teacher of self-financing college including Central Private deemed University or State Private deemed university: -
 - (a) the minimum basic pay shall be as per the Table-9.

Table-9
Minimum Monthly Salary

Serial Number	Post	Pay scale
1	Teacher of Sanskrit, Physics, Chemistry, Mathematics and Biology	Pay Level-8, Pay Matrix Rs. 47600-151100 (as per 7 th CPC)
2	Assistant Professor	Pay Level-10, Pay Matrix Rs. 56,100-1,77,500 (as per 7 th CPC)
3	Associate Professor	Pay Level-12, Pay Matrix Rs. 78,800-2,09,200 (as per 7 th CPC)

4	Professor	Pay Level-13, Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900 (as per 7 th CPC)
5	Head of the Institution	Pay Level-13A, Pay Matrix Rs. 1,31,100-2,16,600 (as per 7 th CPC)

- (b) this shall be the minimum prescribed salary and shall not be restrictive for higher salary structure;
- (c) monthly salary shall be paid along with annual increment with respect to the year of experience to the concerned cadre or post;
- (d) the institute which is already paying higher salary structure shall continue with the same;
- (e) corresponding pay structure as applicable shall be adopted as and when Central Pay Commission revises pay scales.
- (3) The Salary shall be credited to the salary account through bank transfer and necessary facilities to the teacher such as, Provident Fund or Employees' State Insurance, etc. shall be provided by the college and Income Tax deduction certificate such as Form-16 shall be issued by the college to the teacher as per the extent of norms.
- (4) The college shall issue appointment order and promotion order in which the details such as salary, notice period for resignation and the like shall be clearly mentioned.
- **24.** Age of superannuation of teacher. The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or Union territory Administration and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time teacher.
- 25. Unique teacher's code. -(1) A unique teacher's code for all eligible teachers, shall be allotted by the Commission after their appointment in the college through an Online Teachers Management System on application within seven working days from the date of joining and the Promotion or Relieving or Transfer of Department of all such teachers shall be facilitated and monitored through the Online Teachers Management System (OTMS).
 - (2) Institute and Teacher shall update profile in the Online Teachers Management System (OTMS) from time to time with respect to promotion, department transfer, relieving and the like.
 - (3) The Commission shall have the power to withdraw or withheld the teacher's code on ethical and disciplinary grounds.
 - (4) The Medical Assessment and Rating Board shall have the power to withdraw or withheld the teacher's code if the teacher discontinues the teaching profession or not joined any institution for any reason. He may rejoin the teaching profession with the same teacher's code after completing the procedure as specified by Medical Assessment and Rating Board from time to time.
- **26.** Attendance of teacher. The teacher shall abide by the guidelines and mandates as laid down by the Commission from time to time and shall have at least 75 per cent. of attendance during the working days of every calendar year.
- **27.** Development and Training of Faculty Member. Once in every three years teachers shall undergo training in Medical Education Technology (MET) or Quality Improvement Program (QIP) conducted by the Commission or designated authority.
- **28.** Appointment of examiner- No person other than regular or retired teacher with minimum five years of teaching experience in the concerned subject shall be eligible examiner for theory valuation and practical and viva voce examination and the maximum age limit of Examiner shall be sixty-five years.
- 29. Minimum Standards of Undergraduate Ayurveda Education Regulations-2022 and Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Colleges and Attached Teaching Hospitals, Regulations, 2024 shall be applicable as it is, except establishment of teaching hospital for the remaining five and half years Ayurveda undergraduate course.

CHAPTER-IV

ESTABLISHMENT OF NEW AYURVEDA GURUKULAM UNDER SECTION 29 OF THE ACT

30. Pre-requisites:

- (1) Essentiality certificate from the respective State Governments in the prescribed format as per Annexure-I.
- (2) Consent of affiliation from affiliating university as per Annexure-II.
- (3) Land documents duly certified by the competent authority.
- (4) Building documents including building completion certificate, fire safety as the like, duly certified by the competent authorities.
- (5) All certifications required to start an Ayurveda hospital or of the existing hospital as the case may be.
- (6) At least entry level National Accreditation Board for Hospitals accreditation shall be essential for every hospital.
- (7) Clinical training facilities: (a) Ayurveda Gurukulam shall have either established functioning Ayurveda hospital of at least two years old or shall establish the Ayurveda hospital in the following manner;
- (b) the applicant may start Ayurveda hospital along with the starting of the first batch of seven and half years of Ayurveda undergraduate course at such a time and in such a way that the hospital shall fulfill all norms as specified in National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Ayurveda Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024.
- (c) Start with Out Patient Department of Swasthya Rakshana, Kayachikitsa, Shalya Tantra, Shalakya Tantra Netra, Shalakya Tantra KNM (Karna Nasa Mukha), Prasuti and StreeRoga, Kaumarabhrutya, Panchakarma and Visha Chikitsa along with the minimum of twenty in-patient beds attached with the operation theater, Labor room, Panchakarma therapy section, kriyakalpa therapy section and physiotherapy;
- (d) The hospital shall enhance the In-patient Department capacity gradually within two years to sixty inpatient beds, having 50 per cent. of bed occupancy and daily attendance of minimum one hundred twenty patients in out-patient department;
 - *Explanation* The gradual increase in the infrastructure shall be in not more than four stages which shall be supported by appropriate documents such as construction, purchase of instruments or equipment, appointment of human resource, salary and other expenditure.
- **31.** Procedure for Granting Permission to establish new Ayurveda Gurukulam.- (1) The last date for submission of the applications for establishing new Ayurveda Gurukulam shall be announced and displayed on the website of the Commission.
 - (2) Any applicant (trust or society or University or any other body but does not include central Government) to establish Ayurveda Gurukulam fulfilling the pre-requisite and eligibility criteria laid down in these regulations may submit the application online or offline, as per the instructions of Medical Assessment and Rating Board, with all relevant and required documents to the President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as specified by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
 - (3) Fees shall be applicable as specified in Table-10.

Table-10 Details of fee for the Establishment of Ayurveda Gurukulam

Serial Number	Type of Fee	Amount of Fee (Rupees in Lakhs)
1	Application Fee	2.0
2	Processing Fee	10.0

Note-1: Applicable taxes shall be additional

Note-2: Fee amount along with applicable taxes shall be paid into the commissions official bank account through NEFT or RTGS

(4) Annual Visitation and digitization fees shall be applicable as specified in Table-11.

Table-11 Annual Visitation and Digitization Fee

Serial Number	Type of Fee	Amount of Fee (Rupees in Lakhs)
1	Visitation or Inspection or Assessment Fee	5.0
2	Digitization Fee	1.0

Note-1: The applicable taxes shall be additional

Note-2: The fee amount along with the applicable taxes shall be paid into the commissions official bank account through NEFT or RTGS

- (5) In case if the application fulfils the requisite criteria, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct visitation or inspection or assessment in the manner (online or offline or hybrid mode) as laid down by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.
- (6) The process of application, issue of letter of intent, letter of permission, renewal of permission shall be as detailed in National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024.
- (7) Once the letter of permission is issued to this program the renewal process shall continue until full establishment of undergraduate program (Bachelors of Ayurvedic Medicine and Surgery).
- (8) Any denial issued by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be applicable for both the program that is Pre-Ayurveda and undergraduate Ayurveda program.

ANNEXURE-I APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH NEW AYURVEDA GURUKULAM

S. No.	Particular	Details
	Part–I - Applicants Details	
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with Pin code	
3	Official Telephone Number	
4	Official E-mail ID	
5	Status of applicant whether State Government or Union	
	Territory or University or Trust or Type of institution	
	(Govt. or Aided or Private)	
6	Composition of the Trust	
	Particulars of members of the Society or Trust, Head or	
	Project Director of the proposed Medical College, head of	
	the existing Hospital, Qualifications and Experience in the	
	field of Medical education of members, Head of Project or	
	Director and head of the Hospital.	
7	Registration of the or incorporation of the Applicant	
	Body	
	(Number and date, if any)	
8	Is there any other Ayurveda college run by the same	Yes or No
	trust or society or university	
	a) If yes, mention the distance between two colleges	
	b) Provide GPS link of the college along with print copy	
	of the same	

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

9	Means of financing the project	
	a) Contribution of the applicant (Attach Proof)	
	b) Grants (Attach Proof)	
	c) Donations (Attach Proof)	
	d) Equity (Attach Proof)	
	e) Term Loans (Attach Proof)	
	f) Other Sources, if any (Attach Proof)	
10	Details of Fee Paid	
	a) Application Fees Transactions ID	
	b) Processing Fees Transaction ID	
	Part–II - Essential Requiremen	ts
11	Date of 'Essentiality Certificate' issued by the State	
	Government or Union Territory Administration.	
12	Validity of essentiality Certificate	Fromto
13	Date of consent of affiliation for the Programme	
14	Years of consent of affiliation for the Programme	Fromto
	Part-III- Details of the proposed Co	ollege
15	Name of the proposed Ayurveda Gurukulam	
16	Name of the Principal of the college	
17	Proposed annual intake capacity of students	
18	Official Telephone Number	
19	Official E-mail ID	
20	GPS link of the college and hospital along with print	
	copy of the same	
21	Total Land Area	
22	Land is on Lease or own (attach proof)	
	If it is on Lease, Years of Lease	
23	Category of Land (Tier I and Tier II)	
24	Relevant Building Permissions from the concerned	
	Authorities (attach proof)	
25	Blueprint of Building plan (Attach copy)	
26	Administrative Block Infrastructure	
	a. Total Area of Prashasana Mandala: Administrative Block	
	b. Total Area of Adhyayana – Adhyapana Mandala	
	(Academic Block)	
	c. Total Area of Chikitsa & Swasthya Mandala (Teaching	
	Hospital Block)	
	d. Total Area of Nivasa Mandala (Student Hostel &	
	Residential Complex)	
	e. Total Area of Gaushala (if having)	
27	Teaching Staff	
28	Number of Library Books available	
29	Part –IV- Characteristics of proposed site	of the Medical College
	a) Topography	
	b) Plot size	
	c) Permissible floor space index	
	d) Ground coverage	

	e) Building height						
	f) Road access						
	g) Availability of public transport						_
	h) Electric supply						_
	i) Water Supply						_
	j) Sewerage connection						_
	k) Communication facilities						_
	1) Master Plan of the proposed Medical College						_
	m) Layout plans, sections						_
	n) Elevations and floor wise area calculations						_
30	Details of purchase of Ayurveda Gurukulam article (attach						_
	indents and payment proof)						
31	Details of payment of relevant taxes (attach copy)						_
32	Part –V- Banking Deta	ails					_
	a) Name of the account						_
	b) Account Number in College Name						_
	c) Name of the Bank						_
	d) Name of the Branch of the Bank						_
	,	. 1					_
	Part –VI - Details of Hos	spital					
33	Name, address and details of the hospital						
34	Date of establishment of Hospital						
35	Registration certificate of the Hospital						
36	Fire Safety certificate (attach copy)						
37	Permission from Pollution Control Board for Biomedical						
	Waste Management (attach copy)						
38	Renewal of the necessary permissions from local or						
	concerned authorities (valid up to enclosed proof)						
39	Date and Level of NABH certification						
	Validity of NABH Certification		F	From	to-		
40	Permission of X-Rays						
41	Bed strength						
42	Availability of IPD beds						
43	Availability of Biometric Attendance of Hospital Staff		7	es or No	С		
44	Details of working Hospital staff: -	S	N	Desig	Qualif	Expe	
	 Administrative Staff 		a	natio	icatio	rienc	
	Office Staff	n	m	n	n	e	
	Hospital Staff	О	e				
	 Nursing staff 		of				
	Ancillary staff		th				
	•		e				
			sta				
			ff				
45	Number of Functioning OPD Units along with name of the						
	consultant and details						
46	Number of Functioning OPD Units						

47	Part-VII -Banking Details		
	a) Name of the account		
	b) Account Number in Hospital Name		
	c) Name of the Bank		
	d) Name of the Branch of the Bank		
48	Details of purchase of hospital consumable (attach indents		
	and payment proof)		
49	Details of payment of relevant taxes (attach copy)		

Signature of applicant Full Name

Place:	
Date:	

List of enclosures:

- 1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.
- 2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust.
- 3. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership or lease agreement deed.
- 4. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
- 5. Proof of ownership of existing hospital with the first hospital registration certificate.
- 6. Certified copy of the 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration at the proposed site.
- 7. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by Central Sanskrit University, New Delhi for establishing a new Ayurveda Gurukulam.
- 8. Affidavit stating that the land and buildings designated for Ayurveda Gurukulam are exclusively for conducting Ayurveda courses recognised by Board of Ayurveda or National Commission for Indian System of Medicine.
- 9. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on National Eligibility cum Entrance Test for Pre Ayurveda (NEET-PA) merit and only through counselling (Central or State or UT as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- 10. Affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the commission specified in the concerned regulations.
- 11. Proof of application fee and processing fee remitted.
- 12. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
- 13. Other enclosures as per the various parts of application form (please indicate details): -
- 14. Copy of Bank Transaction for the last two year of Official Bank Account: College and Hospital

(Reference Regulation-28(1)(a))

15. Copy of Biometric Attendance of Hospital Staff for the last two years

ANNEXURE-II

(To be issued by State Government or Union Territory) ESSENTIALITY CERTIFICATE FOR THE ESTABLISHMENT OF AYURVEDA GURUKULAM

Ref. N	o Date	
	Basic details of Applicant	
1	Name of the Applicant	
2	address	
3	Type of institution (Govt. or Aided or Private)	
	Name of the proposed Ayurveda Gurukulam	
4	Address of the proposed Ayurveda Gurukulam	
	Proposed intake capacity	50
5	Whether the applicant is already running Ayurveda Medical College (s) or	Yes or No
	Ayurveda Gurukulam	
	If yes, what is the distance between the nearest college and the proposed	
6	college (if the distance is 25 or less than 25 Km Essentiality certificate shall	
	not be issued)	
	Other details	
7	Number of Ayurveda Gurukulam already existing in the State	
8	Population of the State (one Ayurveda Gurukulam shall be permitted for every	
8	five crore population in the State/UT)	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of	Poor or Adequate
	establishment of Ayurveda Gurukulam	
10	Registration No. of the hospital	
	The restrictions imposed by the State Government, if any, on students who are	

ESSENTIALITY CERTIFICATE TO ESTABLISH A NEW AYURVEDA MEDICAL COLLEGE

not domiciled in the State from obtaining admissions in the State be specified.

Essentiality certificate is issued to (name of the applicant) for the establishment of			
•			
(name of the proposed Ayurveda Gurukulam) at (address of the proposed college) with			
intake capacity fifty seats. This certificate is issued in consideration of above details or facts or conditions. This			
certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.			

The Essentiality Certificate is issued on the following term and conditions:

- 1. Ayurveda Gurukulam shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity sanctioned by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- 2. Ayurveda Gurukulam shall not conduct any other colleges or courses or programs in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
- 3. Ayurveda Gurukulam shall maintain all the minimum standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.

- 4. Ayurveda Gurukulam shall admit the students as per the regulation or guidelines or policy framed by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.
- 5. The Ayurveda Gurukulam shall abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards or National Commission for Indian System of Medicine or Government of India or University.
- 6. In case of handing over the Ayurveda Gurukulam to other society or trust, prior No Objection Certificate shall be obtained from the State Government or Union Territory.
- 7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for Minimum Essential Standards as prescribed by the Commission or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the College.

(Signature of the Competent Authority)

Office Seal

Date:

Place:

ANNEXURES-III CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by the Affiliating University)

(Reference Regulation-28(1)(b))

Pre-requisite for submission of application for establishment of Ayurveda Gurukulam

Serial	University Details		
Number			
1	Name of the University		
2	Address		
3	Type of University	Central or State or Deemed-Govt. or Deemed-Private or Private State	
4	Contact Details		
	Contact Person (Name & Designation)		
5	Mobile Number		
	Mail ID		
6	Year of Establishment		
7	Existing Faculties		
8	Accreditation if any		

CONSENT OF AFFILIATION

The university on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to....... (name of the proposed Ayurveda Gurukulam) with intake capacity of fifty Seats for the for the academic year(s)...........

Consent of affiliation is issued on the following conditions:

1. The Ayurveda Gurukulam shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.

- 2. The Ayurveda Gurukulam shall admit the students through online counselling process (Central or State or UT) only as specified by National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations.
- 3. The Ayurveda Gurukulam shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as specified by National Commission for Indian System of Medicine.
- 4. The Ayurveda Gurukulam shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of admission process.
- 5. Prior No Objection Certificate shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other university or before applying for Deemed status.
- 6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree for the last student.
- 7. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Ayurveda Gurukulam as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the Ayurveda Gurukulam with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.

Registrar (Signature with seal) Place: Date:

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./634/2024-25]

- **Note 1:** Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.
- **Note 2:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the regulations, the English version will be treated as the final.